

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2016 (आषाढ 30, 1938)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री -

(क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर म.प्र. द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) एवं

(ख) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-2015 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन हेतु जारी की गई निम्न अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-22-13-15-आठ, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015, एवं

(ख) क्रमांक एफ 22-13-2015-आठ, दिनांक 12 फरवरी, 2016 (शुद्धि पत्र)

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड द्वारा आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले में स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु हितग्राहियों को राशि का भुगतान न किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति तथा स्वीकृति

सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्दश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी कि -

“सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्दश प्रतिवेदन से सहमत है.”

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के भगवानपुरा में कन्या अंग्रेजी आश्रमशाला में 50 सीट की वृद्धि किये जाने,
 - (2) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम सावन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
 - (3) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम गरडा खेड़ा से भटूनी मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने,
 - (4) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पंचायत उम्मेदगढ़वासी में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किये जाने,
 - (5) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम दहलवाड़ा से पिठवानी तक सड़क बनाये जाने,
 - (6) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के खररा घाट में स्टॉप डेम बनाये जाने,
 - (7) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले की ग्राम पंचायत बेलखाड़ से बघोड़ा रोड की परियट नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
 - (8) श्रीमती योगिता नवल सिंह बोरकर, सदस्य, खण्डवा जिले की ग्राम पंचायत पाड़ल्या की पेयजल समस्या हल किये जाने,
 - (9) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बरेण्ड के मजरा डबोखरी से झुण्डपुरा तक सड़क बनाये जाने,
 - (10) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम बम्हनी एवं कान्हीवाड़ा के मध्य सागर नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
 - (11) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम कल्याणपुर में पुलिस चौकी/पुलिस सहायता केन्द्र खोले जाने,
 - (12) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर-मालवा जिले के सुसनेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल अस्पताल बनाये जाने,
 - (13) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम उड़ला में पानी की समस्या को दूर किये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

हाल ही में प्रदेश के अनेक जिलों में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री आरिफ अकील, बहादुर सिंह चौहान, सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :

दिनांक : 20 जुलाई, 2016

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.